हायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कोटकासिम (

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

24/11/16 थाने [illegible] थाना रिपोर्ट पत्रा. 23/2/17 को पेश हो [signature]

11/3/17 आज यह पत्रावली [illegible] कोर्ट में पेश हुई। इस्तगासा परिवादी द्वारा पत्रावली को आ चुकी है। इसलिए प्रस्तुत पत्रावली को चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः पत्रावली ड्रोप की जाती है। पत्रावली नियमानुसार [illegible] होकर [illegible] से [illegible] हो तथा बाद तामील [illegible] [illegible] हो। [signature]

[signature]

[illegible] राम एडवोकेट

प्रमाणित छाया प्रति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
[illegible]/2014	01.10.2014	18.4.2016

अनुवान

1. मूलचन्द उम्र करीब 62 साल
2. रतिराम उम्र करीब 59 साल
3. होशियार उम्र करीब 40 साल पुत्रान दौलतराम जाति जाट निवासी ग्राम जालाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

:– वादीगण

बनाम:–

1. राजू पुत्र जगदीश
2. रामप्यारी बेवा जगदीश जाति पंजाबी जाट निवासी हाजीपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।
3. कौशल्यादेवी पुत्री देशराज पत्नी मोहनलाल साकिन चिकानी तहसील अलवर।
4. शीलादेवी पुत्री देशराज पत्नी कृष्णकुमार निवासी कलगॉव तहसील तिजारा।
5. लीलादेवी पुत्री देषराज पत्नी प्रीतम निवासी ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास (अलवर)
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार, कोटकासिम

:– प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
वो हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा
88, 89, 188 राज0 टी0 ऐ0 1955

उपस्थित:
1. श्री श्रीकप्तानसिंह भारद्वाज अधिवक्ता, वादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादीगण की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 0–10 बिस्वा वाके ग्राम मुनपुर ठाकरान

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

तो प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये व मिन वादीगण को बेदखल करने, कब्जा करने व दीगर लोगो को मुन्तकिल करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण अपनी इस बेजा कार्यवाही मे सफल हो गये तो वादीगण को हर सूरत मे नापूर्ति होने वाली क्षति होगी, दीगर मुकदमाबाजी मे फॅसना पडेगा। अपने हकूक खातेदारी अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा। इसलिये वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद करवाने के अधिकारी है। वादीगण आराजी के काबिज खरीददार खातेदार काश्तकार है। राइट टाइटल वो इन्टरेस्ट हासिल है। प्रतिवादीण गैरकाबिज गैरवास्ता है। हकूक वादीगण कानूनन रक्षित है। अतः अपने हकूको की रक्षार्थ वाद प्रस्तुत किया है। वाद हेतु बिनायदवामी वो बिनायमुखासमत दिनांक 19/3/12 होने जानकारी गलत अमल व दिनांक 3/4/12 इन्कारी दुरूस्ती व देने धमकी मुन्तकिली से पैदा होकर वाद अन्दर अवधि पेश है। प्रतिवादी सं0 6 को वादपत्र मे पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उसे 80 जा0 दी0 के तहत दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज की आड मे विवादित आराजी को दीगर लोगो को बेचान करना चाहते है। जिससे कि मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं0 6 को 80 जा0 दी0 का नोटिस दिया जाना संभव नही है। इसलिये उसे रफाऐ उज्रात 80 (2) जा0 दी0 का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है। अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूध प्रतिवादीगण अ. डिक्री इजराय इश्तकरारहक बहक वादीगण पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादीगण हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 0–10 बिस्वा वाके ग्राम मुनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम के खातेदार है व इसी कदर हाल जमाबंदी मे प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम का अमल कराया जावे। ब. डिक्री इजराय हुक्मईम्तनाईदवामी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल न करे, ना कब्जा करे, ना काश्त कार्य मे रूकावट करे, ना कही दीगर जगह रहन–बय हिबा वसीयत लीज आदि से खुर्द–बुर्द मुन्तकिल करे। स. हर्जा–खर्चा मुकदमा का हम वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। द. अन्य सहायता जो नजदीक अदालत श्रीमान को अता फरमाई जावे।

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों के सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब को सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी के जवाब को नही पढा गया तथा इसी कारण से वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई।

वादी के द्वारा दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल बयनामा, प्रदर्श 2 जमाबन्दी सं0 2064 से 2067 पेश किये गये। साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 1 रतीराम, पीडब्ल्यू 2 मदनलाल, पीडब्ल्यू 3 जगदीश के शपथपत्र पेश किये।

वादी के वकील एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी को वादीगण ने जर्ये बयनामा दिनांक 18.07.1977 को क्रय किया था। बयनामा पटवारी को इंतकाल दर्ज करने हेतु दिया गया परन्तु पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल दर्ज नहीं किया। देशराज फौत हो गया। उसकी फौतगी विरासत का इंतकाल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया। जो गलत दर्ज किया, जबकि प्रार्थीगण द्वारा आराजी को पूर्व में ही क्रय किया जा चुका था व खरीद वक्त से ही काबिज है। दिनांक 19.03.2012 को हमें पता लगा। नकल आदि प्राप्त कर दिनाक 03.04.2012 को प्रतिवादीगण ने दुरुस्ती से इन्कार करने पर दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण का नाम वादीगण के हक हिस्से तक हजफ कर वादीगण के नाम दर्ज किया जावे व वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। सबूत के दस्तावेजात पूर्व में पेश किये जा चुके है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर विचार किया गया। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। दस्तावेज बयनामा के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 184/0–10 बिस्वा सनद खातेदार देशराज पुत्र फगुनराम जाट(पंजाबी) निवासी मूनपुर ठाकरान द्वारा वादीगण को दिनांक 18.07.1977 को बेचान किया जाना साबित है। इस बयनामा को किसी अदालत में चेलेन्ज किया हो! ऐसी कोई साक्ष्य

Scanned by CamScanner

पत्रावली पर पेश नही की गई है। किन्ही कारणों से बयनामा का नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सका। जिससें विक्रेता देशराज मृतक के वारिसान के नाम इन्द्राज हो गया। जो गलत दर्ज हुआ। क्योंकि विवादित आराजी विक्रेता मृतक देशराज की खुद पैदा कर्दा आराजी थी जो उसे कीमतन आवन्टन हुई थी। जिसका उसे बेचान करने का पूरा अधिकार प्राप्त था व मृतक द्वारा किया गया बयनामा से वादीगण के हक काननून विवादित आराजी में वक्त बेचान से ही विद्यमान हो चुके थे तथा वर्तमान में वादीगण का कब्जा होना वाद के तथ्यों से साबित है। इसलिये वादीगण उक्त गलत इन्द्राज जो प्रतिवादी के नाम हाल खसरा नम्बर 283/0–10 बिस्वा पर दर्ज है को कलमजन कराने व वादीगण स्वंय खातेदारी दर्ज कराये जाने के अधिकारी साबित है तथा प्रतिवादीगण जर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्दी के अधिकारी है।

आदेश

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 283/0–10 बिस्वा वाके ग्राम मूनपुरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर से प्रतिवादीगण 1 से 5 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है व उक्त आराजी पर वादीगण को खातेदार काश्तकार समभाग घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे व पर्चा डिकी तैयार की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-5-2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.5.16

(बलवन्त सिंह लिम्बा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज: